भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. SK/3/2016/STGWB/SEOTH/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
Dated: 14-05-2018

To,

Member Secretary,
Govt. of West Bengal,
West Bengal of Police Recruitment Board,
Salt Lak City, Kolkata-700 091
(West Bengal)

Sub Representation dated 03.02.2017 of Ku. Santana Kujur(ST) D/o Late Mangal Kujur, Village Islamabad, PO/District Jalpaiguri, West Bengal regarding consideration of her candidature for the Post of Lady Constable.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceeding of the Sitting taken by Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST on 27-12-2018 for information and urgent necessary action.

It is requested that action taken report in this regard may be submitted to this Commission within months' time.

Yours faithfully,

(R. K. Dubey)
Assistant Director

3706-07
15/5/18

Copy for information and necessary action to:

1. Ku. Santana Kujur(ST)
   D/o Late Mangal Kujur,
   Village Islamabad,
   PO/District Jalpaiguri,
   West Bengal

2. SAS, NIC, NCST uploaded on the web site.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SK/3/2016/STGWB/SEOTH/RU-III)

पश्चिम बंगाल पुलिस में महिला कांस्टेबल पद पर चयन मे अपात्र घोषित किए जाने के मामले मे सुश्री संताना कुजुर, पुत्री- स्व. मंगल कुजूर, ग्राम- इस्लामाबाद, पोस्ट+जिला- जलपाईगुड़ी (अलीपुरदुआर), पश्चिम बंगाल के भुवनेश्वर कार्यालय द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 27.12.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 27.12.2017

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. सुश्री संताना कुजुर, पुत्री- स्व. मंगल कुजूर, ग्राम- इस्लामाबाद, पोस्ट+जिला- जलपाईगुड़ी (अलीपुरदुआर), पश्चिम बंगाल ने क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर मे एक आवेदन देकर पश्चिम बंगाल पुलिस मे महिला कांस्टेबल पद पर चयन में अपात्र घोषित किए जाने के मामले मे न्याय दिलाने का निवेदन किया। मामले में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नोटिस भेजकर जानकारी मांगी गई किन्तु मामले का निराकरण नहीं किया जा सका। अभ्यावेदक सुश्री संताना कुजुर ने दिनांक 03.02.2017 को आयोग में एक रिज्वाइंडर भेजकर न्याय का निवेदन किया।
2. अभ्यावेदन मे बताया गया है कि, अभ्यावेदक ने पश्चिम बंगाल पुलिस में महिला कांस्टेबल पद के दूसरे चरण के लिए दिनांक 09.085.2013 को आवेदन किया था, इसके पहले चरण में उनका चयन हो चुका था। उन्हें दिनांक 20.02.2014 को जलपाईगुड़ी रेंज भर्ती बोर्ड के समक्ष शारीरिक जांच के लिए बुलाया गया। किन्तु शारीरिक माप में

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को रियायत होने के बावजूद उनका गलत माप किया गया और इस आधार पर उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया।

3. आयोग ने अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात सदस्य सचिव, पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड को दिनांक 18.12.2017 को एक नोटिस जारी कर बैठक के लिए दिनांक 27.12.2017 को आयोग में बुलाया।

4. दिनांक 27.12.2017 को आयोग में सदस्य सचिव, पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड तथा श्री दीनबंधु पात्रा, पुलिस इंस्पेक्टर, पश्चिम बंगाल पुलिस उपस्थित हुये। आयोग ने जानना चाहा कि मामले मे पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। सदस्य सचिव, पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड ने आयोग को अवगत कराया कि शारीरिक माप के दौरान मशीन मे कुछ तकनीकी खराबी के कारण सही माप नहीं हो सकी थी। अभ्यावेदक की मशीन द्वारा लंबाई 160.20 सेमी मापी गई जिसके अनुसार उनका वजन 49 किग्रा होना चाहिए किन्तु उनका वजन 45.40 किग्रा था जो नियमतः कम था। मशीन में तकनीकी खामी के कारण उनको इस चरण में चयनित कर लिया गया और उन्हें चयन प्रक्रिया के अगले चरण दौड़ के लिए शामिल कर लिया गया। अगले चरण में भी वे चयनित हुई और साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार के दौरान दुबारा शारीरिक माप ली गई जिसमें उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। इस तरह से करीब 305 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया था।

5. आयोग ने मामले मे विभाग का पक्ष सुनने के पश्चात निम्नलिखित अनुशंसा की-

1. पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड उन सभी 305 आवेदकों की सूची आयोग को उपलब्ध कराये जिनको अयोग्य घोषित किया गया। इस सूची मे स्पष्ट रूप से आवेदकों की कैटेगरी उल्लेखित होना चाहिए।
2. अयोग्य घोषित किए गए सभी आवेदकों की शारीरिक माप दुबारा कराई जाय।

आयोग की अनुशंसा से मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार तथा अध्यक्ष पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड को अवगत कराते हुये प्रगति रिपोर्ट आयोग को एक माह के अंदर भिजवाई जाय।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SK/3/2016/STGWB/SEOTH/RU-III)

पश्चिम बंगाल पुलिस मे महिला कांस्टेबल पद पर चयन मे अपात्र घोषित किए जाने के मामले मे सुश्री संताना कुजुर, पुत्री- स्व. मंगल कुजूर, ग्राम- इस्लामाबाद, पोस्ट+जिला- जलपाईगुड़ी (अलीपुरदुआर), पश्चिम बंगाल के भुवनेश्वर कार्यालय द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 27.12.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री आर. के. दुबे, सहायक निदेशक
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री डी. सी. कटोच, परामर्शक

पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी

6. श्री चिरंतन नाग, डीआईजी सह सदस्य सचिव, पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड
7. श्री दीनबंधु पात्रा, पुलिस इंस्पेक्टर, पश्चिम बंगाल पुलिस